



श्री राजपूत सभा जयपुर द्वारा संचालित

श्री राजपूत छात्रावास

स्टेशन रोड, जयपुर फोन : 0141-2379760, 2361121

छात्रावास प्रवेश आवेदन - पत्र सन्.....

क्रमांक : - **386**

प्रेषित:

आवासाधिकारी,

श्री राजपूत छात्रावास,

जयपुर।

* कमरा नं.

दिनांक

आवास अधिकारी आदेश संख्या व दिनांक

छात्रावास लिपिक

* आवंटित किया गया कमरा किसी अन्य को स्थानान्तरित नहीं किया जा सकेगा।

महोदय / महोदया,

प्रार्थी अपना स्वयं का पासपोर्ट
आकार का अपनी शैक्षणिक, संस्था
के विभागाध्यक्ष द्वारा प्रमाणित
फोटो लगायें।

मैं आपको छात्रावास में प्रवेश हेतु आवश्यक विवरण सहित आवेदन करता हूँ :-

1. पूरा नाम :
2. पिता / अभिभावक का नाम एवं मासिक आय :
3. स्थाई पता :
4. कक्षा एवं कॉलेज / विभाग :
- जिसमें अध्ययनरत है।
5. जन्म तिथि :
6. क्या आवेदक अथवा उसके माता/पिता का :
- जयपुर शहर में कोई निजी अथवा किराये का मकान है? :
7. माता पिता द्वारा मनोनीत स्थानीय संरक्षक :
- का नाम और पता (दूरभाष नं.) :
8. क्या आवेदक के विरुद्ध कभी कोई अनुशासनात्मक : हां/नहीं.....
- कार्यवाही की गई है। यदि हां तो कब और क्यों :
9. क्या आवेदक के विरुद्ध कभी कोई पुलिस केस :
- पंजीकृत हुआ है? यदि हां, तो पूर्ण :
- विवरण दीजिए कि कौनसी धरा में :
- आरोपित है। :
10. क्या आवेदक कभी किसी अपराध में दंडित हुआ :
- है? यदि हां, तो कब तथा किस आधार :
- पर, पूर्ण विवरण दीजिए। :

11. क्या आवेदक पिछले वर्षों में छात्रावास का छात्र था / थी ? यदि हाँ तो निम्न सूचना वर्षवार दीजिए :

क्रमांक	छात्रावास का नाम	निवास के वर्ष से तक	कमरा नं.	छात्रावास जीवन में यदि कोई विशिष्टता प्राप्त की हो तो विवरण दे
1.				
2.				
3.				

12. अंतिम चार उत्तीर्ण परीक्षाओं का पूर्व विवरण (मूल/प्रमाणित अंकतालिका सहित)

क्रं.	अंतिम परीक्षा	वर्ष	प्रयास	संस्थान	श्रेणी	प्राप्तांक	पूर्णाङ्क	प्रतिशत
1.								
2.								
3.								
4.								

13. अन्य गतिविधियों का विवरण एवं खेल-कूद में योग्यता यदि कोई हो (विश्वविद्यालय खेल बोर्ड या राज्य खेल परिषद के मूल प्रमाण-पत्र संलग्न करें।

14. प्रार्थी द्वारा घोषणा :-

मैं, श्री राजपूत छात्रावास द्वारा निर्धारित नियमों का पालन करने की प्रतिज्ञा करता हूँ और मैं भली भांति समझता हूँ कि छात्रावास के किसी भी नियम का उल्लंघन अथवा दण्डनीय अपराध अथवा नियमों का उल्लंघन किये जाने पर मेरा प्रवेश रद्द किया जा सकता है। मैं अपने कमरे के पंखे, कुर्सी आदि सामान का पूर्ण उत्तरदायित्व लेता हूँ तथा इनके गुम या क्षतिग्रस्त होने की पूरी जिम्मेवारी मुझ पर होगी। मैं प्रमाणित करता/करती हूँ कि सम्पूर्ण विवरण जो ऊपर दिये गये हैं, सही हैं। मैं यह भी सत्यापित करता हूँ कि मैं किसी भी सरकारी या निजी संस्थान में कार्यरत नहीं हूँ। यदि मैं छात्रावास में रहते हुए किसी भी समय किसी वैतनिक कार्य में रत होऊँगा तो मैं तुरन्त छात्रावास का खाली कर दूँगा।

भवदीय

दिनांक

(प्रार्थी के पूर्ण हस्ताक्षर)

15. पिता / संरक्षक का प्रमाण-पत्र :

मैं अपने पुत्र / संरक्षितजब तक कि वह छात्रावास का छात्र है, के अच्छे अनुशासित व्यवहार का उत्तरदायी हूँ तथा मैं उसके छात्रावास के किसी भी प्रकार के भुगतान, यदि बाकी हों तो उनके चुकाने का उत्तरदायित्व लेता हूँ। मैं यह प्रमाणित करता हूँ कि मेरा पुत्र / संरक्षित के विषय में जो विवरण इस फार्म में दिया गया है, वह सही है। मैं जयपुर का निवासी नहीं हूँ ना ही मेरा जयपुर विकास प्राधिकरण या जयपुर नगर परिषद की सीमाओं में व्यक्तिगत या किराये का मकान है। यदि इनमें से कोई भी गलत पाये जावे तो मैं यह भलीभांति समझता हूँ कि मेरे पुत्र / संरक्षित का प्रवेश रद्द हो जावेगा। मैं श्री को अपने पुत्र / संरक्षित का स्थानीय संरक्षक मनोनीत करता हूँ। वह मेरे पुत्र संरक्षित के जयपुर में रहने के दौरान उसके आचरण के लिये उत्तरदायी होंगे। मेरे द्वारा मनोनीत स्थानीय संरक्षक का पता निम्न प्रकार है।

.....स्थानीय संरक्षक के हस्ताक्षर

पता :

16. मैं यह प्रमाणित करता हूँ कि प्रार्थीकोमें प्रवेश दे दिया गया है। मैं उसकी आपके छात्रावास में प्रवेश के लिये संस्तुति करता हूँ और विश्वास दिलाता हूँ कि वह नियमों का पालन करेगा। मैं यह भी प्रमाणित करता / करती हूँ कि उक्त छात्र जयपुर में किसी भी सरकारी अथवा निजी संस्था में कार्यरत नहीं है।

(विभागाध्यक्ष / प्राचार्य के हस्ताक्षर)

विश्वविद्यालय शैक्षणिक शुल्क रूपये

रसीद नं. दिनांक

द्वारा जमा हुए।

लेखापाल

सत्यापित प्रवेश शुल्क की रसीद अवश्य संलग्न करें।

टिप्पणियाँ :

1. प्रार्थी द्वारा इस फार्म में दिये गये विवरणों में यदि बाद में कोई परिवर्तन हो तो उसे छात्रावास संरक्षक को तुरन्त सूचित करना चाहिए।
2. प्रार्थना - पत्र में सही तथ्य नहीं देने/ तथ्य छिपाने की स्थिति में प्रवेश रद्द कर दिया जावेगा।
3. जो विवरण अनावश्यक है उन्हे काट दीजिये।
4. बगैर प्रमाणिक अंकतालिका, प्रवेश शुल्क रसीद तथा विभागाध्यक्ष/ प्राचार्य के हस्ताक्षर के प्रार्थना पत्र स्वीकार नहीं किये जायेंगे।

शपथ पत्र

(छात्रावास में प्रवेश पाने वाले को भर कर देना होगा)

मैं पुत्र श्री

छात्रावास के प्रत्येक नियम की पालना करूँगा जब तक छात्रावास में रहूँगा।

1. मैं छात्रावास की फीस नियमित जमा करवाऊँगा।
2. मैं अपने कमरे में किसी मेहमान या मित्र को बिना वार्डन की आज्ञा के नहीं आने दूँगा यदि ऐसा पाया जाता है तो मेरे विरुद्ध जो भी प्रबन्ध समिति निर्णय लेगी स्वीकार होगा।
3. मैं अपने कमरे में किसी प्रकार के हथियार जैसे पिस्तौल, चाकू, तलवार या अन्य अस्त्र नहीं रखूँगा।
4. मैं छात्रावास या छात्रावास के बाहर किसी प्रकार की अवैधानिक गतिविधियों में लिप्त नहीं होऊँगा।
5. मैं छात्रावास में शराब का सेवन नहीं करूँगा।
6. मैं छात्रावास को 30 जून को खाली कर दूँगा चाहे मेरी परीक्षा हुई हो या नहीं हुई हो। प्रबन्ध समिति द्वारा जो निर्णय होगा। वो मुझे मान्य होगा।
7. मैं कहीं पर नौकरी या अन्य कोई धन्धा नहीं करूँगा। यदि मेरी नौकरी या धन्धा लगता है तो छात्रावास तुरन्त खाली कर दूँगा।

यदि उपरोक्त वर्णित शर्तों की अनुपालना में कहीं भी दोषी पाया जाता हूँ तो मेरा प्रवेश बिना सूचना के रद्द कर दिया जावे। जो मुझे मान्य होगा। मैं घोषणा करता हूँ कि मैंने प्रवेश फार्म में कोई तथ्य नहीं छुपाया है न ही कोई झूठा प्रपत्र संलग्न किया। यदि कहीं पर भी मैं दोषी पाया जाऊँ तो मुझे प्रबन्ध समिति का निर्णय मान्य होगा।

दिनांक

हस्ताक्षर छात्र

पूरा नाम.....

स्थायी पता व फोन नं.

.....

हस्ताक्षर होस्टल वार्डन



श्री राजपूत सभा जयपुर द्वारा संचालित
श्री राजपूत छात्रावास

छात्रावास वार्ड संख्या

पासपोर्ट साईज फोटो

(3 कापियां संलग्न करे)

आवासीय छात्र का नाम

पिता/अभिभावक का नाम

कक्षा..... संकाय कमरा संख्या

स्थायी पता

स्थानीय अभिभावक/संरक्षक का नाम..... व्यवसाय.....

पता दूरभाष नं.

मैं के छात्रावास में आवासी रहने की अवधि में सम्पूर्ण अनुशासित रहने की जिम्मेदारी लेता हूँ।

(हस्ताक्षर स्थानीय अभिभावक / संरक्षक)

श्री राजपूत सभा के दो प्रतिनिधि 1.

या आजीवन सदस्य पाँच से अधिक

छात्रों के फार्म पर हस्ताक्षर न करें। 2.

उनके पते व हस्ताक्षर

प्रबन्ध कार्यकारिणी समिति द्वारा पारित नियम

1. कॉलेज एवं विश्वविद्यालय के नियमित छात्रों को ही मेरिट के आधार पर प्रवेश दिया जावेगा।
2. अनुत्तीर्ण छात्र, छूत की बीमारी से रोगी एवं दुराचरण सम्बन्धित पुलिस केस वाले छात्र को प्रवेश नहीं दिया जावेगा और प्रवेश पाये हुए छात्र को छात्रावास से निष्कासित कर दिया जावेगा।
3. छात्र को जो कमरा आवंटित किया जावेगा, उसी में निश्चित अवधि तक निवास करना होगा।
4. छात्रावास में प्रवेश के समय पर जिस कक्षा की पढाई हेतु प्रवेश दिया जाता है। उस कक्षा की परीक्षा के अन्तिम पेपर हो जाने के बाद 7 दिवस के भीतर कमरा खाली करना अनिवार्य होगा। प्रत्येक वर्ष में 30 जून को कमरा खाली कर वार्डन को सम्भालना होगा। अगले वर्ष नवीन प्रवेश-पत्र भरना होगा।
5. प्रवेश-पत्र फीस 50 रु. छात्रावास रख रखाव शुल्क 9000 रु वार्षिक शुल्क प्रवेश के समय जमा करवाना होगा।
6. प्रत्येक छात्र को प्रवेश के समय रुपये 2500/- कॉशनमनी के रूप में जमा कराने होंगे। जो छात्रावास छोड़ते समय छात्र को (अगर कोई कटौती हुई तो काटकर) वापस लौटा दिये जायेंगे। 6 माह तक न माँगने पर वह सभा की सम्पति होगी।
7. कोई छात्र राजनैतिक गतिविधियों में भाग नहीं लेगा।
8. प्रत्येक छात्र को मैस में भोजन करना अनिवार्य है। कमरे में खाना खाते छात्र मिलता है तो तीन दिवस मैस में भोजन नहीं करेगा व हाजरी लगेगी। और मैस में खाना खाते समय एक थाली में एक छात्र ही खाना खायेगा। एक छात्र दूसरे छात्र का मेहमान बनकर मैस में खाना नहीं खा सकेगा। मैस एडवांस 2000 रु होगा।
9. प्रति माह की 7 तारीख तक मैस व बिजली चार्ज जमा करावे अन्यथा पाँच रुपये प्रतिदिन विलम्ब शुल्क लगेगा। जो छात्र छात्रावास से अनुपस्थित रहेगा उसकी मैस डाइट चालू रहेगी।
10. स्वीकृत अवकाश होने पर मैस डायट नहीं लगेगी।
11. कोई भी मेहमान रात्रि में छात्रावास में नहीं ठहर सकेगा।
12. छात्रावास की सम्पति का दुरुपयोग, तोड़-फोड़ व नुकसान पहुँचाने पर छात्र से उसकी क्षति पूर्ति की जावेगी। छात्रावास की कोई भी चल सम्पति छात्रावास के बाहर नहीं ले जाई जावेगी।
13. छात्रावास के नियमों के विरुद्ध आचरण करने वाला छात्र दण्ड का भागीदार होगा। जो छात्रावास से निस्कासन तक भी किया जा सकता है। प्रबन्ध कार्यकारिणी का निर्णय अन्तिम होगा।
14. छात्र अपना एक ऐसा संरक्षक पेश करेगा जो यह लिखित में दे कि वह छात्र के आचरण और छात्रावास सम्बन्धित समस्त शुल्कों की अदायगी का उत्तरदायी होगा।
15. अनाधिकृत रूप से रहने वाले व्यक्ति के विरुद्ध पुलिस कार्यवाही भी की जा सकती है।
16. छात्रावास का फाटक रात्रि 10 बजे से सुबह 5 बजे तक बन्द रहेगा। विशेष अवस्था में छात्रावास से बाहर रहने की वार्डन से लिखित में इजाजत लेना जरूरी है।
17. पंखे व लाइट के अलावा अन्य बिजली के उपकरण जैसे हीटर, बिजली की प्रेस आदि का प्रयोग पूर्णतः वर्जित है।
18. प्रत्येक छात्र अपने स्वयं की वर्तमान फोटो की 3 कापियां संलग्न करे।
19. प्रत्येक छात्र को श्री राजपूत सभा के कार्यक्रमों में बुलाये जाने पर अनिवार्य रूप से उपस्थित होना पड़ेगा। ऐसा नहीं करने पर अनुशासनहीनता की कार्यवाही की जावेगी।
20. चार पहिया वाहन रखने वाले छात्र को छात्रावास में प्रवेश नहीं दिया जायेगा और न ही कोई नियमित रहने वाला छात्र कोई चार पहिया वाहन छात्रावास में लायेगा अगर कोई छात्र ऐसा करेगा तो उसका प्रवेश निरस्त कर दिया जायेगा।
21. दो पहिया वाहन प्रशासन द्वारा बनाई गई पार्किंग स्थल पर खड़ा करना अनिवार्य है। अपने कमरे तक दो पहिया ले जाना वर्जित है।
22. छात्रसंघ चुनाव, समाज के आन्दोलन एवं किसी भी प्रकार की मीटिंग छात्रावास में रहने वाले छात्र बिना प्रबन्ध कार्यकारिणी समिति की आज्ञा के नहीं कर सकेंगे। अगर ऐसा पाया जाता है तो ऐसे छात्र के विरुद्ध कार्यवाही की जायेगी।
23. अगर कोई छात्र छात्रावास के नाम का दुरुपयोग (जैसे बसों में वी.आई.पी माँगना, रेस्टोरेन्ट में रियायत माँगना, सिनेमा हॉल में रियायत माँगना, त्यौहारों पर छात्रावास के नाम से चन्दा माँगना आदि) करता हुआ पाया गया तो उसके विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही की जायेगी।

प्रार्थी के पूर्ण हस्ताक्षर



श्री राजपूत सभा जयपुर द्वारा संचालित

श्री राजपूत छात्रावास

स्टेशन रोड, जयपुर फोन : 0141-2379760, 2361121

प्रवेश फार्म सत्र 2011-12 प्राप्त करने हेतु प्रार्थना-पत्र

सेवा में,

श्रीमान् अध्यक्ष महोदय,

श्री राजपूत सभा, जयपुर, राजस्थान ।

मान्यवर महोदय,

सविनय निवेदन है कि मैं श्री राजपूत छात्रावास का प्रवेश फार्म चाहता हूँ। मेरी व्यक्तिगत जानकारी निम्न प्रकार है :

1. नाम व व्यक्तिगत फोन नं :
2. जन्म तिथि :
3. पिता का नाम :
4. माता का नाम :
5. पता (गांव का पता) :
6. तहसील :
7. जिला :
8. स्थाई निवास फोन नं: :
9. छात्रावास से दूरी किमी. में :
10. खांप / तड़ / गौत्र (कौनसे राजपूत आदि) :
11. कक्षा (अध्ययनरत) :
12. कक्षा जो 2010-11 में पास की है :प्रतिशत.....
13. प्रवेश (नियमित या Non Collegiate) :
14. संस्था का नाम (कॉलेज/विश्वविद्यालय) :
15. पता :
16. पिता की मासिक आय :
17. पिता का रोजगार व रोजगार का पता :
18. कार्यालय व फोन :
19. स्वयं का रोजगार (यदि है तो) :
20. साधन (जो छात्र आने-जाने में काम लेगा) :
21. पूर्व छात्र हेतु कमरा नं. :
22. यदि छात्र विकलांग या खिलाड़ी है, तो विवरण दें :

उपरोक्त सभी जानकारी मैंने स्वयं ने पढ़कर भरी है जो सत्य है।